हरियाणा के झज्जर जिले में भूमि अधिग्रहण और ग्रामीण जीवनः एक सामाजिक–आर्थिक परिप्रेक्ष्य

[1]बबिता, [2]डॉ. राजेश मलिक

[1]शोधार्थी छात्र, भूगोल विभाग, बी.एम.यू. रोहतक, हरियाणा, भारत

[2]प्रोफेसर, भूगोल विभाग, बी.एम.यू. रोहतक, हरियाणा, भारत

शोध आलेख सारः *भूमि अधिग्रहण किसी भी विकासशील राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि यह औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, शहरीकरण और विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए आवश्यक होती है। हालांकि, भूमि अधिग्रहण से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं भी गंभीर होती हैं, जिनका दूरगामी प्रभाव स्थानीय समुदायों और कृषि पर पड़ता है। भारत में आर्थिक सुधारों और औद्योगिक विकास की गति तेज होने के कारण भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और इससे संबंधित विवाद बढ़ते जा रहे हैं। विशेष रूप से कृषि प्रधान क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के कारण किसानों, भूमिहीन मजदूरों और ग्रामीण समाज के अन्य वर्गों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं।*

मुख्य शब्दः हरियाणा, झज्जर, भूमि अधिग्रहण, ग्रामीण जीवन।

Article History

Received: 02/03/2025; Accepted: 11/03/2025; Published: 22/03/2025

ISSN: 3048-717X (Online) | https://takshila.org.in

Corresponding author: बबिता, Email ID: babitasiwach98@gmail.com

परिचय

Improving Skillset

Takshila Journal of Research

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) वे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जहां सरकार व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक नीतियां लागू करती है। इन क्षेत्रों में कर में छूट, सरल व्यापार नियम, कुशल प्रशासनिक प्रक्रियाएं और बुनियादी ढांचे का उच्च स्तरीय विकास किया जाता है, जिससे औद्योगिक उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिल सके। भारत में SEZs की अवधारणा 2000 में शुरू हुई और 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम (SEZ Act, 2005) लागू हुआ, जिसने निवेशकों और औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित किया। हालांकि, SEZs के विकास के लिए बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का अधिग्रहण

किया जाता है, जिससे ग्रामीण समुदायों को अपनी आजीविका खोने का खतरा रहता है। कई मामलों में, किसानों को उनकी जमीन के बदले अपर्याप्त मुआवजा दिया जाता है, और वे अपनी परंपरागत आजीविका के बिना आर्थिक असुरक्षा का सामना करते हैं। इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण और SEZs का विकास ग्रामीण समाज के लिए एक दोधारी तलवार की तरह है - एक ओर यह औद्योगीकरण और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी ओर यह विस्थापन, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष को जन्म देता है।

भूमि अधिग्रहण और इससे जुड़ी समस्याएं

भारत में भूमि अधिग्रहण कोई नई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन आर्थिक विकास, औद्योगीकरण और शहरीकरण की तेज़ गति के कारण इसका प्रभाव अब अधिक व्यापक हो गया है। सरकार और निजी कंपनियों द्वारा बुनियादी ढांचे के विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) की स्थापना और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर कृषि भूमि अधिग्रहित की जा रही है। हालांकि, इस प्रक्रिया से कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। भूमि अधिग्रहण के कारण सबसे प्रमुख समस्या कृषि भूमि की हानि और खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट की है। उपजाऊ कृषि भूमि को औद्योगिक या शहरी क्षेत्रों में बदलने से खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत में कृषि भूमि में कमी और शहरीकरण के प्रभावों पर हुए शोध (Reddy & Mishra, 2009) से स्पष्ट होता है कि भूमि उपयोग में हो रहे बदलाव किसानों की आय और खाद्यान्न उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

Improving Skillset
Takshila Journal of Research

भूमि अधिग्रहण से किसानों और ग्रामीण समुदायों के विस्थापन की समस्या भी उत्पन्न होती है। अधिकतर भूमि अधिग्रहण ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, जिससे स्थानीय किसान और खेतिहर मजदूर अपनी जीविका से वंचित हो जाते हैं। वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी और आवश्यक कौशल का अभाव होने के कारण वे बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता का सामना करते हैं (Sharma, 2010)। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों को मिलने वाला मुआवजा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

कई मामलों में, मुआवजा राशि बाजार मूल्य से कम होती है और पुनर्वास योजनाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं की जातीं, जिससे प्रभावित परिवारों को अपने जीवनयापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है (Bardhan, 2011)।

भूमि अधिग्रहण का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी गहरा होता है। जब किसान और ग्रामीण मजदूर अपनी आजीविका खो देते हैं, तो वे वैकल्पिक रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगते हैं। इस पलायन से ग्रामीण समाज की पारंपरिक संरचना प्रभावित होती है और पारिवारिक एवं सामाजिक ताने-बाने में बदलाव आता है। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण से पर्यावरणीय असंतुलन भी उत्पन्न होता है। औद्योगीकरण और शहरी विकास के लिए जंगलों की कटाई, जल स्रोतों का अति-शोषण और भूमि प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिससे जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है और जलवायु परिवर्तन की समस्या गहराती है (Gadgil & Guha, 1992)।

इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण से जुड़े आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को संतुलित करना आवश्यक है। सरकारों और नीति-निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया न्यायसंगत हो और प्रभावित समुदायों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएं। इसके अलावा, सतत विकास की नीतियों को अपनाने और भूमि उपयोग की प्रभावी योजनाओं को लागू करने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

हरियाणा के संदर्भ में भूमि अधिग्रहण की स्थिति: हरियाणा एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद औद्योगिक और शहरी विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति, दिल्ली के निकटता, और औद्योगिक गलियारों के विस्तार के कारण, राज्य में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण हो रहा है। विशेष रूप से गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत जैसे जिले, जहां औद्योगिक गलियारों (Industrial Corridors), विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs), और शहरी विस्तार के तहत कृषि भूमि को अधिग्रहित किया गया है, भूमि उपयोग में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं। औद्योगीकरण और भूमि अधिग्रहण के प्रभावों पर किए गए अध्ययनों (Chakravorty, 2013) के अनुसार, हरियाणा में बड़े पैमाने

पर भूमि अधिग्रहण से कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है, और कई किसान अपनी आजीविका के नए विकल्प खोजने के लिए बाध्य हुए हैं।

यह अध्ययन विशेष रूप से हरियाणा के झज्जर जिले के तीन गांवों - बीर दादरी, दादरी-तोए, और पाहसौर - में भूमि अधिग्रहण के प्रभावों का विश्लेषण करता है। इन गांवों में किसानों द्वारा अपनी कृषि भूमि को बेचे जाने के पीछे की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया है। शोध में पाया गया कि भूमि अधिग्रहण के कारण इन गांवों में भूमि की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे कृषि भूमि व्यापार की एक नई प्रवृत्ति देखने को मिली है। हालांकि, इस प्रक्रिया के साथ-साथ कृषि उत्पादन में गिरावट भी दर्ज की गई है, जिससे खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है (Singh & Singh, 2019)। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों और भूमिहीन मजदूरों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सीमित हैं और कई ग्रामीणों के पास आवश्यक कौशल की कमी होती है।

झज्जर जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) एवं मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप (MET) का विकास: हरियाणा सरकार और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच जनवरी 2006 में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत झज्जर और गुरुग्राम जिलों में 25,000 एकड़ भूमि में फैला भारत का सबसे बड़ा SEZ सौदा किया गया। इस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में 10,000 एकड़ झज्जर जिले में आता है, जहां प्राकृतिक गैस आधारित बिजली संयंत्र, कार्गो हवाई अड्डा, बहु-उत्पाद प्रसंस्करण क्षेत्र और विशेष आवासीय क्षेत्र जैसी सुविधाएँ प्रस्तावित थीं। इसके माध्यम से जिले की आर्थिक और औद्योगिक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन की उम्मीद थी। SEZ का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी एवं अन्य अगली पीढ़ी के व्यवसायों को आकर्षित करना था, जिससे निवेश ₹25,000-40,000 करोड़ तक होने का अनुमान था। इसके अंतर्गत 6,500 एकड़ कम प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए, 5,000 एकड़ बुनियादी ढांचे और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए, 3,750 एकड़ आवासीय क्षेत्र के लिए और 1,250 एकड़ संस्थागत, अवकाश एवं मनोरंजन सुविधाओं के लिए आरक्षित किया गया था (सिंह, 2015)।

SEZ के लिए झज्जर जिले के **22 गांव और गुरुग्राम जिले के 21 गांव** प्रभावित हुए। झज्जर जिले में प्रभावित गांवों में **लाडपुर, फैजाबाद, पेलपा, निमाणा, याकूबपुर, सोंधी, इसमाइलपुर, फतेहपुर, बामनौला, बीर दादरी, मुनीमपुर, कुकड़ोला, दादरी तोए, लगरपुर, लोहट, दरियापुर, एमपी माजरा, देवरखाना, मुंडाखेड़ा, शोजीपुरा, बाढ़सा और खालिकपुर** शामिल हैं। वहीं, गुरुग्राम जिले में **मुबारकपुर, झांझरौला, इकबालपुर, कलिआवास, सुल्तानपुर, साधरणा, माकडौला, बुढेरा, चंदू, महमदपुर, नूरपुर, झाड़सा, खांडसा, नरसिंहपुर, गढ़ी, हरसरू, गडोली खुर्द, अस्मायालपुर और गोपालपुर** प्रमुख रूप से प्रभावित हुए (रिलायंस SEZ हरियाणा, झज्जर, 2010)।

हालांकि SEZ परियोजना अब तक पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, लेकिन इस क्षेत्र में **औद्योगिक और सामाजिक विकास गतिविधियों में निवेश शुरू** हो गया है। इसमें **नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, बुनियादी सुविधाओं में सुधार, स्वच्छता एवं पेयजल सुविधाओं का विस्तार, नि:शुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन और महिला सशक्तिकरण के लिए बुनाई, ड्राइंग और पेंटिंग केंद्रों की स्थापना** शामिल हैं।

प्रासंगिक साहित्य

नाथन (2009) के अनुसार, भूमि अधिग्रहण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आती है और कृषि पर निर्भर लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन में बताया गया कि जब किसानों को उनकी भूमि से विस्थापित किया जाता है, तो उनकी आय और जीवनशैली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी तरह, बर्थल और नेगी (2012) ने अपने अध्ययन में पशुपालन और कृषि पर भूमि अधिग्रहण के प्रभावों का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि यह पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बाधित करता है, जिससे ग्रामीण समुदायों की जीवनशैली में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं।

होन्नप्पा और रामकृष्ण (2009) के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना से किसानों की भूमि तेजी से अधिग्रहित हो रही है, जिससे उनकी जीविका पर असर पड़ रहा है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भूमि

अधिग्रहण से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित नहीं हो पा रहे हैं, जिससे वे आर्थिक असुरक्षा के शिकार हो रहे हैं। चक्रवर्ती (2013) के अध्ययन में औद्योगीकरण और भूमि अधिग्रहण के बीच संबंध को समझाते हुए यह बताया गया कि भूमि अधिग्रहण से कृषि उत्पादन में गिरावट आई है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है।

शर्मा (2014) के शोध में यह उल्लेख किया गया कि भूमि अधिग्रहण की नीतियां अक्सर ग्रामीण समुदायों के हितों की अनदेखी करती हैं, और मुआवजे की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी के कारण किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता। इसी तरह, मुखर्जी और बनर्जी (2015) ने अपने अध्ययन में पाया कि भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित किसानों को दीर्घकालिक आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे पारंपरिक कृषि कार्यों से बाहर हो जाते हैं और नए रोजगार विकल्पों में उनका समायोजन कठिन होता है।

चटर्जी (2017) ने अपने शोध में दर्शाया कि भूमि अधिग्रहण के कारण ग्रामीण समुदायों में सामाजिक संरचना प्रभावित होती है, क्योंकि विस्थापन से पारंपरिक सामाजिक संबंध कमजोर पड़ते हैं और शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन बढ़ता है। घोष और सेन (2018) के अनुसार, भूमि अधिग्रहण के बाद कई ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षरण देखा गया, जिसमें जल स्रोतों पर दबाव, जैव विविधता की हानि और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट शामिल हैं।

प्रसाद (2019) ने अपने अध्ययन में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पाया कि कई मामलों में किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य नहीं मिलता और पुनर्वास नीतियां प्रभावी ढंग से लागू नहीं की जातीं। इसी तरह, मेहता (2020) के अनुसार, भूमि अधिग्रहण से प्रभावित ग्रामीण परिवारों को अपनी जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ता है और नई परिस्थितियों में वे खुद को असहाय महसूस करते हैं।

अनुसंधान उद्देश्य

1. भूमि अधिग्रहण से कृषि भूमि के उपयोग में आए परिवर्तनों का अध्ययन करना।
2. भूमि अधिग्रहण के कारण कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभावों का विश्लेषण करना।
3. किसानों द्वारा मुआवजा राशि के उपयोग और उनकी संतुष्टि के स्तर को समझना।

अनुसंधान पद्धति

इस अध्ययन में हरियाणा के झज्जर जिले के तीन गांवों–बीर दादरी, दादरी-तोए और पाहसौर–में भूमि अधिग्रहण के प्रभावों का विश्लेषण किया गया। अनुसंधान के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया, जिससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, प्रभावित समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और पर्यावरणीय प्रभावों को समझा जा सके। प्राथमिक डेटा एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया, जिसमें 300 से अधिक किसानों और भूमिहीन मजदूरों से साक्षात्कार लिए गए। साक्षात्कार के दौरान संगठित प्रश्नावली का उपयोग किया गया, जिसमें भूमि अधिग्रहण के कारण होने वाले आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों से जुड़े प्रश्न शामिल थे। गहराई से जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार और फोकस ग्रुप डिस्कशन (FGD) भी आयोजित किए गए।

द्वितीयक डेटा के लिए सरकारी रिपोर्टों, नीति दस्तावेजों, जनगणना रिपोर्टों, भूमि रिकॉर्ड और राज्य सरकार की भूमि अधिग्रहण से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न शोध पत्रों, पुस्तकों और जर्नल्स की समीक्षा की गई ताकि भूमि अधिग्रहण के प्रभावों पर पूर्व में किए गए अध्ययनों को आधार बनाया जा सके। संकलित आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया गया। डेटा को सारणीबद्ध कर औसत, प्रतिशत विश्लेषण और प्रवृत्ति विश्लेषण जैसी विधियों का उपयोग किया गया। इसके अलावा, SPSS और MS Excel का प्रयोग डेटा प्रोसेसिंग और

Improving Skillset
Takshila Journal of Research

विश्लेषण के लिए किया गया। तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण से पहले और बाद की स्थितियों का मूल्यांकन किया गया, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति, कृषि उत्पादन और सामाजिक संरचना में आए बदलावों को समझा जा सके।

गुणात्मक डेटा का विश्लेषण करने के लिए विषयगत विश्लेषण की विधि अपनाई गई, जिसमें किसानों और मजदूरों के अनुभवों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर उनके जीवन पर पड़े प्रभावों का अध्ययन किया गया। नमूना चयन के लिए यादृच्छिक नमूना विधि का उपयोग किया गया, जिसके तहत किसानों को उनकी भूमि के आकार, मुआवजा प्राप्त करने की स्थिति और कृषि पर निर्भरता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया। हालांकि, इस अध्ययन की कुछ सीमाएँ भी रहीं। यह अध्ययन केवल तीन गांवों तक सीमित है, इसलिए इसके निष्कर्ष पूरे राज्य पर समान रूप से लागू नहीं किए जा सकते। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण के दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करने के लिए एक विस्तृत दीर्घकालिक अध्ययन की आवश्यकता होगी।

यह अनुसंधान पद्धति भूमि अधिग्रहण से जुड़े आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को समझने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करती है। सांख्यिकीय विश्लेषण और गुणात्मक डेटा के संयोजन से इस अध्ययन में भूमि अधिग्रहण के प्रभावों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इससे नीति-निर्माताओं को भविष्य में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ बनाने में सहायता मिलेगी।

Improving Skillset
Takshila Journal of Research

जमीन खरीदने की प्रक्रिया: भूमि एक किसान और उसके परिवार के लिए महत्वपूर्ण आजीविका संसाधन है। हरियाणा में, जहां कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण एक अनिवार्य मुद्दा है। ऐसी स्थिति में जमीन मालिक और किसान अपनी जमीन बेचने का कड़ा विरोध करेंगे। भूमि अधिग्रहण के प्रभाव की जांच करने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित तालिका भूमि अधिग्रहण के विभिन्न पहलुओं के कारकों को दर्शाती है।

तालिका: 3.5 भूमि खरीदने की प्रक्रिया से संबंधित ग्रामवार जानकारी

प्रतिदर्शित गाँव	**बीर-दादरी**	**दादरी-तोए**	**पाहसौर**	**कुल**
सेज को बेच दी गई जमीन *	70.00	60.03	59.50	63.17
भूमि की कीमतों पर भूमि खरीदने का प्रभाव(कीमत प्रति एकड़)				
भूमि **खरीदने** से पहले	3 लाख	5 लाख	4 लाख	4 लाख
वर्तमान समय में	5 करोड़	7 करोड़	6 करोड़	6 करोड़
भूमि की बिक्री के लिए जिम्मेदार कारक **				
बाध्यता	20.00	---	8.00	9.33
धन प्रयोजन	5.00	38.42	36.46	26.62
इच्छा	75.00	61.58	55.54	64.04
सुझाव	---	---	---	
भूमि की बिक्री न करने के लिए जिम्मेदार कारक **				
जमीन की कीमत बढ़ने का इंतजार है	---	32.54	38.75	23.76
भविष्य को असुरक्षित महसूस करना	---	40.66	22.88	21.18
खेती में योग्य और टिकाऊ आय स्रोत	---	4.28	8.22	4.16

Improving Skillset
Takshila Journal of Research

असंतोषजनक मुआवज़ा	---	22.52	20.15	14.22

स्रोत: शोधकर्ता द्वारा किया गया प्राथमिक सर्वेक्षण। *आंकड़े उत्तरदाताओं की कुल भूमि का प्रतिशत हैं, जिन्होंने जमीन बेची है। ** आंकड़े कुल सर्वेक्षण किए गए उत्तरदाताओं का प्रतिशत हैं।

आरेख 1.1

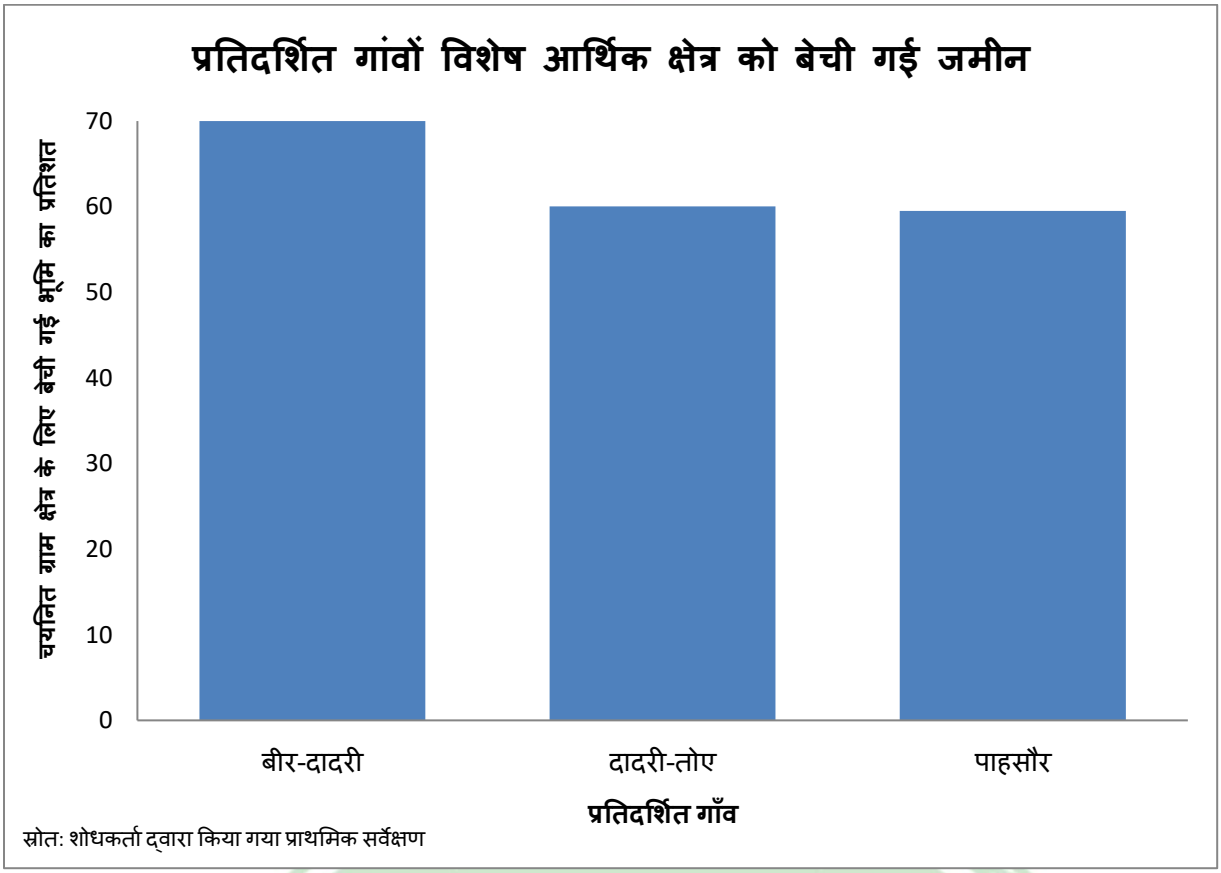

स्रोत: शोधकर्ता द्वारा किया गया प्राथमिक सर्वेक्षण

सारणीबद्ध आंकड़े प्रतिदर्शित गांवों में एसईजेड को बेची गई भूमि के प्रतिशत हिस्से के बारे में जानकारी देते हैं। उत्तरदाताओं की लगभग 60 प्रतिशत भूमि SEZ परियोजना को बेची गई थी। ग्राम बीर-दादरी के उत्तरदाताओं (70 प्रतिशत) ने अपनी अधिकांश भूमि बेची है। इसके बाद क्रमशः दादरी-तोए और पाहसौर गाँव थे। यह चिंता का विषय है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि को उत्पादक कारक के रूप में महत्व है। भूमि स्वामित्व का एक सामाजिक मूल्य है और यह ऋण, प्राकृतिक खतरों या जीवन की आकस्मिकताओं के लिए सुरक्षा के रूप में कार्य करता है और सामाजिक स्थिति में भी जोड़ता है।

आंकड़ों से जमीन की कीमतों में उल्लेखनीय बदलाव का संकेत मिला। भूमि की कीमतों में यह अप्रत्याशित वृद्धि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के साथ ही दर्ज की गई। उत्तरदाताओं का मानना था कि वे अपनी जमीन बेचकर अपनी संपत्ति और जोत बढ़ा सकते हैं। जैसे ही कंपनी ने जमीन अधिग्रहण करना शुरू किया, इलाके में भू-माफियाओं का एक मजबूत समूह सुर्खियों में आ गया। इस ग्रुप का असर जमीन की कीमतों पर देखने को मिला है. अध्ययन क्षेत्र में जैसे ही जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई, जमीन की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिली है. जमीन की कीमतों में इस अप्रत्याशित वृद्धि से किसानों को एसईजेड के आसपास के क्षेत्र में जमीन खरीदने में बाधा उत्पन्न हुई। इसके अलावा, कुछ किसानों ने अपने मुआवज़े का अधिकांश पैसा गैर-आय सृजन या फिजूलखर्ची गतिविधियों पर भी खर्च किया है। यह भी देखा गया है कि इस प्रकार के किसान दिवालिया होने की कगार पर पहुँच गये।

तालिका से स्पष्ट है कि किसानों की व्यक्तिगत इच्छा एसईजेड को अपनी जमीन बेचने का मुख्य कारक है। प्रतिदर्शित गांवों में कुल उत्तरदाताओं में से 60 प्रतिशत से अधिक ने जवाब दिया कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छा के कारण अपनी जमीन बेच दी है। यह ग्राम बीर दादरी में सर्वाधिक (73 प्रतिशत) है। इसकी तुलना में पाहसौर गांव दादरी-तोए (61.58 प्रतिशत) और (55.54 प्रतिशत) में उत्तरदाता इसी कारण से अपनी जमीन बेचने को तैयार थे।

प्रतिदर्शित गांवों में एसईजेड को बेची गई कुल भूमि में बीर दादरी गांव हिस्सा सबसे अधिक है। इसके बाद पाहसौर और दादरी-तोए गांव आए। क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं ने बताया कि आरआईएल द्वारा दी गई जमीन की कीमतें इस क्षेत्र की जमीन की मौजूदा कीमतों से कई गुना अधिक थीं। इसने उनके लालच के लिए उत्प्रेरक कारक के रूप में काम किया। हालाँकि, प्रतिदर्शित गाँव दादरी-तोए और पाहसौर में उत्तरदाताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने बताया कि उन्होंने पैसे की खातिर अपनी जमीन बेच दी है। उत्तरदाताओं के अनुसार उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने SEZ परियोजना के विकास के लिए अपनी ज़मीन बेच दी। इसके अलावा, तालिका से

पता चलता है कि बीर दादरी और पाहसौर गांव के उत्तरदाताओं का एक मामूली हिस्सा मजबूरीवश परिस्थितियों के कारण अपनी जमीन बेच चुका है। हालांकि, उत्तरदाताओं ने बताया है कि कंपनी और कंपनी एजेंटों ने उनकी जमीन बेचने के लिए कोई बल प्रयोग नहीं किया. उन्होंने बताया कि जमींदार से लिया गया ऋण और अपर्याप्त कृषि सुविधाएं जमीन बेचने के लिए मजबूरी पैदा करने वाले कुछ कारक थे। यह देखा गया है कि उत्तरदाताओं ने अपनी जमीन बेचने के लिए किसी भी व्यक्ति से परामर्श नहीं लिया।

फील्ड स्टडी में उन किसानों को भी शामिल किया गया, जिन्होंने अपनी जमीन आरआईएल को नहीं बेची। सारणीबद्ध आँकड़ों से स्पष्ट है कि कारक अपनी भूमि बेचने के लिये प्रेरित नहीं हैं। हालाँकि, लगभग 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि वे अपनी जमीन की कीमतें बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, जो कंपनी द्वारा घोषित होने की संभावना है। दादरी-तोए के लगभग 32.54 और पाहसौर 38.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने क्रमशः आरआईएल को कृषि भूमि नहीं बेची। इसके अलावा, बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने असुरक्षित भविष्य के कारण अपनी जमीन नहीं बेची। सारणीबद्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 40.66 और 22.88 प्रतिशत उत्तरदाता दादरी-तोए गांव के थे और पाहसौर ने बताया कि उन्होंने असुरक्षित भविष्य के कारण अपनी जमीन नहीं बेची। उन्होंने जवाब दिया कि कंपनी मुआवजे के तौर पर नकद रकम दे रही है. हालाँकि, मुआवज़े की मात्रा ज़मीन की मौजूदा बाज़ार कीमतों से कई गुना अधिक थी। लेकिन कुछ उत्तरदाताओं ने इस प्रकार के धन को आसान धन के रूप में महसूस किया है।

Improving Skillset

हालाँकि, जैसे ही कंपनी ने भूमि खरीद प्रक्रिया शुरू की, इस क्षेत्र में एक मजबूत रियल एस्टेट बाजार विकसित हुआ है। इसके परिणामस्वरूप भू-माफियाओं का एक समूह सुर्खियों में आ गया। इसने एक "प्रदर्शन प्रभाव" पैदा किया है और इससे आसपास के क्षेत्रों में भी भूमि के मूल्य में वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि इस प्रकार का पैसा स्थायी आजीविका देने के लिए भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है। ऐसे में मुआवजा राशि असंतोषजनक महसूस हुई। तालिका आगे उजागर करती है कि

लगभग 15.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस कारण से अपनी जमीन नहीं बेची। फिर भी, लोगों का एक सीमांत हिस्सा अपनी कृषि पद्धतियों से प्राप्त आय से संतुष्ट था। उत्तरदाताओं की यह धारणा थी कि अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी जमीन बेचने के बजाय कृषि पद्धतियों से प्राप्त आय वांछनीय है।

एसईज़ेड को बेची गई भूमि की गुणवता: तालिका स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि एसईज़ेड को बेची गई भूमि मुख्य रूप से कृषि भूमि थी। एसईजेड अधिनियम-2005 निर्दिष्ट करता है कि सरकार उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं करेगी। हालाँकि, SEZ अधिनियम-2005 की धारा-1 के तहत किसान अपनी ज़मीन बेचने या न बेचने का निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा भूमि की गुणवत्ता का कृषि की उत्पादकता पर सीधा असर पड़ता है, जो अन्य गतिविधियों के लिए सच नहीं है। इसलिए, विशाल उपजाऊ कृषि भूमि को एसईजेड में बदलने से खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण समस्या का भी खतरा पैदा हो गया है। परिणामस्वरूप, भूख, कुपोषण, बेरोजगारी, अपराध की समस्या उत्पन्न होने और पूरे देश में फैलने की संभावना है (होनप्पा और रामकृष्ण, 2009)।

तालिका 1.3 ग्रामवार बेची गई भूमि का वितरण और कृषि उत्पादन की हानि

प्रतिदर्शित गाँव	**बीर-दादरी**	**दादरी-तोए**	**पाहसौर**	**कुल**
<u>एसईजेड को बेची गई भूमि का प्रकार</u>				
कृषि	100.00	100.00	100.00	100.00
गैर कृषि	---	---	---	---
<u>भूमि उपयोग(प्रतिशत में)</u>				
रबी	100.00	100.00	100.00	100.00
ख़रीफ़	60	93.50	76.84	76.78

Improving Skillset
Takshila Journal of Research

एसईजेड को बेची गई भूमि पर पहले उगाई गई फसलों के उत्पादन का अनुमानित नुकसान (किलोग्राम में, वार्षिक)

गेहूँ	147560	148200	298450	594210
सरसों	18000	16900	33320	68220
चावल	60880	59000	9800	129680
बाजरा	22280	38600	53250	114130

एसईजेड को बेची गई भूमि की विभिन्न फसलों की अनुमानित उपज (किलो/ एकड़ में)

गेहूँ	4400	4500	4200	4366
सरसों	2400	2056	2250	2235
चावल	3846	3688	3920	3818
बाजरा	1485	1838	1508	1610

प्राथमिक खाद्यान्न और गेहूं की प्रति व्यक्ति औसत खपत

प्राथमिक खाद्यान्न	गेहूँ	गेहूँ	गेहूँ
द्वितीयक खाद्यान्न	चावल	चावल	चावल
तृतीयक खाद्यान्न	बाजरा	बाजरा	बाजरा
गेहूं का प्रति व्यक्ति औसत प्रतिदिन सेवन	120	130	120	123

Improving Skillset
Takshila Journal of Research

(ग्राम में)।)

स्रोत: जून 2024 में शोधकर्ता द्वारा किया गया प्राथमिक सर्वेक्षण।

कृषि भूमि का उपयोग: भूमि उपयोग से पता चला कि भूमि पर वर्ष भर खेती की जाती थी। रब्बी सीज़न के दौरान, 100 प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती थी। लेकिन, ख़रीफ़ में खेती योग्य क्षेत्र के स्तर में अंतर देखा गया। आंकड़े बताते हैं कि कुल कृषि भूमि के एक तिहाई हिस्से पर खेती की जाती थी। हालाँकि, दादरी-तोए गाँव में 93.50 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो प्रतिदर्शित गाँवों में सबसे अधिक थी। जबकि पाहसौर गांव की 76.84 प्रतिशत कृषि भूमि पर खरीफ सीजन के दौरान खेती की जाती थी। चयनित गांवों में बीर दादरी गांव में सबसे कम सतह क्षेत्र में खरीफ के फसल उगाई जाती थी।

भूमि अधिग्रहण और खाद्य सुरक्षा: यह देखा गया है कि आरआईएल द्वारा अधिग्रहित भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया गया था। यह देखा गया है कि कृषि द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों के विपरीत पूरी तरह से भूमि आधारित गतिविधि है। दूसरे शब्दों में, कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अन्य क्षेत्रों के उत्पादन में इसके योगदान की तुलना में अधिक है। इस प्रकार, भूमि तक पहुंच की कमी का ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की घटनाओं से सीधा संबंध है। इसके अलावा खेती योग्य भूमि का अधिग्रहण निश्चित रूप से खाद्य उत्पादन को प्रभावित करता है। खाद्य सुरक्षा पर भूमि अधिग्रहण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए, औसत उपज और अधिग्रहण के कारण उत्पादन के अनुमानित नुकसान की जांच करना आवश्यक है।

Improving Skillset

सारणीबद्ध आंकड़े बताते हैं कि इस भूमि पर पहले उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों की औसत उपज झज्जर जिले से बेहतर है। सर्वेक्षण किये गये गाँव में गेहूँ की औसत उपज 4366 किलो/ एकड़ है। इसके अलावा बीर दादरी (4154 किग्रा./हेक्ट.), दादरी-तोए (4491 किग्रा./हेक्ट.) और पाहसौर (3685 किग्रा./हेक्टेयर) में गेहूं की औसत उपज। यह झज्जर जिले की औसत उपज (3595 किग्रा/हेक्टेयर) से अधिक है। गेहूं की प्रति एकड़ उपज दादरी तोए गांव में नमूना गांवों में सबसे ज्यादा अच्छा है, इसके साथ-साथ यह झज्जर जिले की फसल उपज से भी बेहतर है। इसके साथ साथ कृमश बीर दादरी और

पहसौर गांव में भी औसत उपज औसत से ज्यादा है (हरियाणा का सांख्यिकीय सार, 2021-22) । इसी प्रकार प्रतिदर्शित गांवों में चावल, सरसों और बाजरा की औसत उपज झज्जर जिले की औसत उपज से अधिक है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं एसईज़ेड के लिए अधिग्रहीत भूमि बहुत उत्पादक थी। यह भूमि अधिग्रहण नियम का उल्लंघन है। अधिनियम कहता है कि एसईज़ेड केवल बंजर या ऐसी भूमि का अधिग्रहण करेगा जो लगातार दो या तीन वर्षों तक परती रखी गई हो।

सारणीबद्ध आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि एसईजेड के लिए अधिग्रहीत भूमि कृषि पद्धतियों के लिए उपयुक्त थी। कृषि भूमि का औद्योगिक उपयोग में परिवर्तन बहुत चिंता का विषय है। इससे विभिन्न फसलों के उत्पादन में काफी नुकसान का पता चलता है, जो एसईजेड के लिए अधिग्रहीत भूमि पर उगते थे। आंकड़ों से पता चलता है कि गेहूं, सरसों, चावल, बाजरा और ज्वार इस भूमि पर पहले उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें थीं। गेहूँ और बाजरा खाद्यान्न के रूप में तथा सरसों और चावल नकदी फसल के रूप में उगाये जाते थे। गेहूं पूरे वर्ष के दौरान प्रमुख खाद्यान्न फसल और सेवन है। हालाँकि, बाजरा सर्दियों के मौसम में लिया जाता है। चावल और सरसों को नकदी फसलों के रूप में उगाया जाता है और ज्वार को मुख्य रूप से जानवरों के चारे के लिए उगाया जाता है।

ऐसा देखा गया है कि इस जमीन को बेचने से लगभग 6 लाख किलोग्राम गेहूं उत्पादन का नुकसान होता है। प्रतिदर्शित गाँव में सबसे अधिक गेहूं के उत्पादन का नुकसान पाहसौर में हुआ है। इसके साथ क्रमश ग्राम दादरी-तोए और बीर दादरी से गेहूं का नुकसान भी काफी मात्रा में हुआ है। सरसों रबी की एक और फसल है जो पहले इस भूमि पर उगाई जाती थी। एसईजेड को बेची गई जमीन से सरसों के उत्पादन का अनुमानित नुकसान लगभग 70 हजार किलोग्राम है। बीर दादरी, दादरी-तोए और पाहसौर जैसे गाँव थे जो क्रमशः 18 हजार किलोग्राम, 17 हजार किलोग्राम और 33 हजार किलोग्राम का उत्पादन दर्शाते हैं। ख़रीफ़ फ़सलों में चावल और बाजरा प्रमुख फ़सलें थीं, जो पहले इस भूमि पर पैदा होती थीं। प्रतिदर्शित गांवों से चावल और बाजरा के उत्पादन का कुल अनुमानित नुकसान क्रमशः 1.30 लाख किलोग्राम और 1.14 लाख किलोग्राम है।

बीर दादरी, दादरी-तोए और पाहसौर गांवों में क्रमशः 60 हजार किलोग्राम, 59 हजार किलोग्राम, लगभग 10 हजार किलोग्राम चावल और बाजरा 22 हजार किलोग्राम, 38 हजार किलोग्राम, 50 हजार किलोग्राम है। ज्वार मुख्यतः पशुओं के चारे के रूप में उगाया जाता था। ज्वार के उत्पादन में कमी का असर गाँव में पशुपालन पर पड़ता है। इसके बाद, जमीनों की बिक्री से चारे की कमी पैदा हो गई है। परिणामस्वरूप, उन्हें अपने मवेशी भी बेचने पड़े। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्रतिदर्शित गांवों में गेहूं प्रमुख मुख्य खाद्यान्न है। चावल और बाजरा द्वितीयक खाद्यान्न हैं, जिनका सेवन मौसम के अनुसार और पूरे वर्ष कभी-कभी किया जाता है। सर्वेक्षण के आधार पर यह भी पाया गया कि प्रति व्यक्ति गेहूं की औसत खपत 123 ग्राम प्रतिदिन है। इसलिए, एक व्यक्ति एक वर्ष में लगभग 45 किलोग्राम गेहूं खा सकता है। कृषि योग्य भूमि के भूमि उपयोग के अनुसार एक वर्ष में गेहूं के उत्पादन का कुल नुकसान 5 लाख किलोग्राम है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि गेहूं की इतनी मात्रा एक वर्ष के लिए लगभग 11 हजार व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा कर सकती है। इसके अलावा, जब हम गेहूं की खेती के तहत एसईजेड को बेची गई कुल भूमि पर विचार करते हैं, तो गेहूं उत्पादन के नुकसान की मात्रा भी बढ़ गई होगी। नुकसान की मात्रा लगभग 2 करोड़ किलोग्राम होगी। यह उत्पादन लगभग 4.50 लाख व्यक्तियों की एक वर्ष की भोजन की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा कर सकता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना उचित है कि क्षेत्र में पूर्ण जनसंख्या का आकार भी बढ़ गया है।

इसलिए, अध्ययन क्षेत्र में खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करना मुश्किल है। यह गणना की गई है कि अधिग्रहीत भूमि में अतिरिक्त आबादी के लिए भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता थी। इसलिए, खेती योग्य भूमि को औद्योगिक प्रयोजन में बदलने से निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी।

Improving Skillset
Takshila Journal of Research

पशुधन/पशुपालन: गांवों में पशुधन पालन हमारी कृषि अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण घटक रहा है। यह विभिन्न तरीकों से कृषि की वृद्धि और विकास में योगदान देता है। इसका फसल उत्पादन के साथ सहक्रियात्मक संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अवशेष और अन्य

उपोत्पाद फसलों के लिए ऊर्जा और खाद का स्रोत देते हैं। यह आउटपुट की एक सतत धारा भी उत्पन्न करता है और आश्रित आबादी के लिए आय का एक स्थायी स्रोत बन जाता है। यह एक प्राकृतिक पूंजी है जिसे धन उत्पन्न करने के लिए पुनरुत्पादित या तेजी से बढ़ाया जा सकता है (बिरथल और नेगी, 2012)। प्राचीन काल से ही पशुधन को जरूरत के समय खाद्य सुरक्षा का स्रोत माना जाता रहा है। आधुनिक समय में, पशु खाद्य उत्पादों की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है, खासकर विकासशील देशों में। पशु खाद्य उत्पादों के लिए विस्तारित बाजार लाखों छोटे धारकों के लिए एक अवसर है, जिनके पास श्रम की पर्याप्त बंदोबस्ती है लेकिन सीमित भूमि है, ताकि वे पशुधन क्षेत्र में अपनी आय और रोजगार में सुधार कर सकें (डेलगाडो एट अल, 1999)। यह कृषि विकास में तेजी लाने, ग्रामीण गरीबी को कम करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक प्रभावी तरीका है (बिरथल और नेगी, 2012)। खाद्य सुरक्षा के लिए पशुपालन के महत्व को जानने के लिए, पशुपालन पर भूमि अधिग्रहण के प्रभाव की जांच करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान तालिका प्रतिदर्शित गांवों के मवेशियों की जानकारी देती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण ने ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न जटिलताओं को जन्म दिया है। पारंपरिक 'मिश्रित खेती' प्रणाली ने प्रतिदर्शित गांवों के ग्रामीण समाज में भारी बदलाव का अनुभव किया है। परिणामस्वरूप ग्रामीण समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ 'गड्ढे' विकसित हुए हैं। आरआईएल से तत्काल धन की प्राप्ति ने लोगों को अदूरदर्शी बना दिया है और अपने भविष्य के लिए दीर्घकालिक योजना की उपेक्षा की है।

निष्कर्ष

Improving Skillset
Takshila Journal of Research

झज्जर जिले में कृषि भूमि के अधिग्रहण ने किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। भूमि की कीमतों में भारी उछाल आया, जिससे कुछ किसानों ने स्वेच्छा से अपनी भूमि बेची, जबकि कुछ ने आर्थिक मजबूरियों के कारण ऐसा किया। हालांकि, अधिग्रहण के बाद कई किसानों को यह महसूस हुआ कि मुआवजे की राशि अल्पकालिक राहत तो प्रदान कर सकती है, लेकिन यह भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती।

इसके अलावा, कृषि भूमि को औद्योगिक उपयोग में बदलने से खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई, जिससे खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से गेहूं, चावल, बाजरा और सरसों जैसी प्रमुख फसलों का उत्पादन प्रभावित हुआ, जिससे स्थानीय स्तर पर खाद्यान्न आपूर्ति में कमी आई। इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि किसानों ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया और निर्णय लेने में बाहरी प्रभावों की भूमिका सीमित थी। हालाँकि, यह भी देखा गया कि कुछ किसानों ने भूमि की बढ़ती कीमतों के कारण अपनी भूमि न बेचने का निर्णय लिया।

सुझाव

भूमि अधिग्रहण नीति में संशोधन: केवल बंजर या कम उपजाऊ भूमि को अधिग्रहण के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि भूमि के अधिग्रहण पर सख्त नियम लागू किए जाएं।

किसानों के लिए वित्तीय परामर्श: मुआवजा प्राप्त किसानों को वित्तीय योजना और निवेश की जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे दीर्घकालिक रूप से आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।

सस्टेनेबल कृषि विकास: किसानों को आधुनिक तकनीकों से अवगत कराकर कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जाए। कृषि योग्य भूमि के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

भूमि अधिग्रहण से खाद्य सुरक्षा की रक्षा: खाद्यान्न उत्पादन को बनाए रखने के लिए सरकार को वैकल्पिक कृषि योजनाएं लागू करनी चाहिए। अधिग्रहित भूमि के बदले किसानों को उपजाऊ भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

भूमि अधिग्रहण के प्रभाव दीर्घकालिक होते हैं और यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से भी महत्वपूर्ण हैं। यदि सही रणनीति और नीतियों को अपनाया जाए, तो किसानों और कृषि क्षेत्र की बेहतरी सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे समग्र रूप से ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।

Takshila Journal of Research

संदर्भ

1. बर्धन, पी. (2011). भारत में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा: गायब बाजारों के रहस्य। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 46(32), 46-53।
2. गाडगिल, एम., और गुहा, आर. (1992). यह दरारों वाली भूमि: भारत का पारिस्थितिक इतिहास। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. रेड्डी, वी. आर., और मिश्रा, एस. (2009). आर्थिक सुधारों के युग में कृषि: बाधाएँ और अवसर। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 44(10), 46-57।
4. शर्मा, ए. (2010). भूमि से विस्थापन: भारत के अध्ययन। द जर्नल ऑफ पीज़ेंट स्टडीज़, 37(3), 531-556।
5. चक्रवर्ती, एस. (2013). भारत में भूमि अधिग्रहण: नवउदारवादी राज्य की राजनीतिक-आर्थिक कमजोरी। डेवलपमेंट एंड चेंज, 44(3), 437-465।
6. नायक, एस. (2020). सतत भूमि अधिग्रहण नीतियाँ और ग्रामीण विकास। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 39(2), 112-129।
7. सिंह, आर., और सिंह, के. (2019). हरियाणा में भूमि अधिग्रहण का किसानों पर प्रभाव: एक अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, 74(1), 23-38।
8. नाथन, डी. (2009). भूमि अधिग्रहण और ग्रामीण आजीविका: भारत का एक अध्ययन। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 44(4), 37-45।
9. बोरथल, पी., और नेगी, एस. (2012). भूमि अधिग्रहण का कृषि और पशुपालन पर प्रभाव। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 31(2), 98-112।
10. होन्नप्पा, आर., और रामकृष्ण, पी. (2009). विशेष आर्थिक क्षेत्र और ग्रामीण विस्थापन: एक आर्थिक दृष्टिकोण। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, 64(1), 53-67।
11. शर्मा, आर. (2014). भूमि अधिग्रहण नीतियाँ: न्यायसंगत मुआवजा और पुनर्वास के मुद्दे। सोशल चेंज, 44(2), 167-182।

Improving Skillset
Takshila Journal of Research

12. मुखर्जी, पी., और बनर्जी, एस. (2015). विस्थापन और आर्थिक अनिश्चितता: एसईज़ेड क्षेत्रों में किसानों का अध्ययन। इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू, 50(1), 29-46।
13. चटर्जी, बी. (2017). भूमि अधिग्रहण का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण। जर्नल ऑफ सोशल स्टडीज, 42(4), 221-237।
14. घोष, ए., और सेन, आर. (2018). बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण के पर्यावरणीय प्रभाव। एनवायरनमेंटल इकोनॉमिक्स रिव्यू, 33(1), 112-130।
15. प्रसाद, वी. (2019). भूमि अधिग्रहण में मुआवजा और पुनर्वास नीतियाँ: एक तुलनात्मक विश्लेषण। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 54(3), 56-72।
16. मेहता, के. (2020). विस्थापित किसानों का संघर्ष: भूमि अधिग्रहण के बाद की आजीविका पर अध्ययन। जर्नल ऑफ रूरल इकोनॉमी, 48(2), 88-105।
17. प्रसाद, एस. (2019). भारत में भूमि अधिग्रहण और किसानों पर इसका प्रभाव: एक सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्टडीज, 36(2), 112-130।
18. मेहता, आर. (2020). विस्थापन और आजीविका की चुनौतियाँ: हरियाणा में भूमि अधिग्रहण का एक अध्ययन। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 55(14), 47-56।
19. चटर्जी, ए. (2017). भूमि अधिग्रहण के कारण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन: ग्रामीण से शहरी परिवर्तन का अध्ययन। एशियन जर्नल ऑफ सोशल साइंस, 45(1), 89-105।
20. घोष, टी., और सेन, ए. (2018). भूमि अधिग्रहण के पर्यावरणीय प्रभाव: जल संसाधन और जैव विविधता पर अध्ययन। जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल स्टडीज, 52(2), 134-150।

Improving Skillset
Takshila Journal of Research